न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2020(2020/00022)

1. गंगाराम पुत्र नारायण, जाति रेगर, निवासी धून्धरी, तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र काना कहार।
2. रामप्रसाद पुत्र काना कहार।
3. जगदीश पुत्र काना कहार।
4. मोहन पुत्र गोरू कहार।
5. किशन पुत्र गोरू कहार।
6. नन्दा पुत्र सोहन कहार।
7. लाला पुत्र सोहन कहार।
8. रामेश्वर पुत्र श्रीलाल खाती।
9. कैलाश पुत्र महावीर जैन।
10. धन्ना पुत्र चिरंजीलाल जैन।
11. राजू पुत्र चिरंजीलाल जैन।
12. कैलाशी पत्नि छोटूराम खटीक।
    निवासीगण धून्धरी, तहसील केकडी जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री अशोक कुमार पालीवाल — वकील प्रार्थी
श्री आशिफ हुसैन — वकील प्रतिप्रार्थी
पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट</u>

—:निर्णयः—

दिनांक 20.5.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की आराजीयात ग्राम मौजें जंगल धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर। उक्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
103—222	2181	1.5500	

उक्त वर्णित आराजीयात के लगवा खसरा नंबर 2200 जो सरकारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से चोरी छिपे काश्त करते आ रहे है व खसरा नंबर 2196 पर प्रतिवादी संख्या 8 व खसरा नम्बर 2198 पर प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 द्वारा नाजायज तरीके से उक्त भूमि जो सरकार भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 11 द्वारा नाजायज तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त भूमि को काश्त करते आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण [illegible] लगायत [illegible] नाजायज तरीके से उक्त सरकार भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से मौके पर कांटे की [illegible] लगा [illegible] उक्त प्रार्थी की आराजीयात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आने जाने के रास्ते को अवरूद्व कर दिया व अप्रार्थीगण संख्या 12 के खातेदारी की आराजीयात जिसके खसरा नंबर 2153 की मेड के सहारे से प्रार्थी अपनी आराजीयात में आता जाता रहता था। प्रार्थी अपनी आराजीयात को काश्त करने हेतु उक्त खसरा नम्बर के लगवा से आता था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की नियत को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 12 की भी नियत बद हो गयी व उसने भी अपनी मेड की आराजीयात को हटाकर उक्त रास्ते की भूमि को अपनी आराजीयात में मिलाकर मौके पर कांटे व तार की बाड लगाकर वादी के उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिससे कि वादी को अपनी भूमि में आने जाने में व ट्रेक्टर व खते को पिलाई करने में कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है प्रार्थी उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु आम रास्ता धून्धरी से बीजवाड जाने के आम रास्ते से सरकारी भूमि जिसके खसरा नम्बर 2200, 2196 व 2198 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 द्वारा नाजायज तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त खसरा नम्बरो की भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा अपने कब्जे मे लेकर चोरी छिपे काश्त कर रहे है प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात जो अपने दादा के समय से ही उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु जो रास्ता धून्धरी से बीजवाड जाने वाल आम रास्ते से अपनी आराजीयात में जाने हेतु उक्त रास्ते के लगवा जो सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 2200, 2196, 2198 व प्रतिवादी संख्या 12 की आराजीयात के खसरा नम्बर 2153 से वादी अपनी आराजीयात में आता जाता रहता था। व उक्त रास्ता जो एक कदमी रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी 60–70 वर्षो से करता आ रहा है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने को कोई भी अन्य रास्ता नही है उक्त का खुलासा नही होता है वादी को उक्त आराजीयात को काश्त करने से वंचित रह जायेंगे ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 जो खसरा नम्बर 2200 व अप्रार्थी संख्या 8 जो खसरा 2196 व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 द्वारा खसरा नम्बर 2198 व अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा खसरा नम्बर 2153 के मेड के सहारे वे प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आता जाता रहता था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 25.10.2019 से आज दिनांक तक निरन्तर तौर पर उत्पन्न हो रहा है। जब प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात के खसरा नम्बर 2200, 2196, 2198, व 2153 की मेड के सहारे के रास्ते के सामने आम रास्ते को बन्द कर वहां पर मेड को हटाकर रास्ते की भूमि को अपने अधिकार में लेकर मौके पर डोल डालवाने व कांटे की बाड डालकर रास्ता अवरूद्व करने के कारण वादी को अपनी आराजीयात में आने जाने में कठिनाईया उत्पन्न होने व रास्ता अवरूद्व होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जिसके खसरा नंबर 2181 रकबा 1.55हैक्टर में प्रार्थी को आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के कब्जे शुदा आराजीयात जिसके खसरा नम्बर 2200, 2196 व 2198 व अप्रार्थीगण संख्या 12 की आराजीयात जिसके खसरा नम्बर 2153 के मेड के सहारे से जो धून्धरी से बीजवाड जाने का रास्ता जो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है में 30 फिट के रास्ता लेने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 8 व 9 तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी के पत्र कमांक 244 दिनांक 28.2.2020 द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 व 9 की ओर से जवाबः– प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2, 3, 4, 5,6,7,8, गलत व अस्वीकार बताया। विशेष विवरण में प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात का सिवायचक भूमि ,खसरा संख्या 2161 रकबा 0.38हैक्टर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 2166 रकबा 0.39हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता में से होकर आवागमन वर्षो से कर रहा है व प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के अन्य पडौसी खातेदारी भी खसरा नंबर 2164 व 2166 में अपना अवागमन करते है तथा उनका वर्षो से उक्त खसरा संख्या 2164 व 2166 से आना जाना है प्रार्थी गंगाराम पुत्र नारायण रेगर की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2180 व 2181 में आवागमन हेतु ग्राम धून्धरी से बीजवाड बडला जाने वाला राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रास्ता सिवायचक खसरा संख्या 2164 व 2166 में से सुविधाजनक है तथा वादी के अलावा वादी के अन्य पडोसी खातेदार भी खसरा संख्या 2164 व 2166 में से ही आवागमन करते है प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 2198,2199,2200 में मांग रहा है जो अनुचित है उक्त खसरा संख्या 2198,2199,2200 कोपरेटिव सोसायटी की भूमि है एवं मौके पर कोपरेटिस सोसायटी के सदस्य यानि 1 लगायत 4 व 8 व 9 को कब्जा देकर [illegible] रखी है तथा उक्त खसरा संख्या विवादग्रस्त है प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु [illegible] सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2164 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

2166 में से आवागमन हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2164 व 2166 मे से आवागमन हेतु रास्त दिया जा सकता है। जिसमे से वर्षो से प्रार्थी व प्रार्थी के पडौसी खातेदार आया जाया कर रहे है यदि प्रार्थी जिस खसरा नंबर 2198, 2199,2200 से आवागमन का रास्ता मांगा जा रहा है वह कोपरेटिस सोसायटी का है यदि प्रार्थी का उद्देश्य उक्त खसरा से आवागमन का रास्ता मांगना केवल मात्र कोपरेटिव सोसायटी के सदस्यों को हैरान परेशान करना है।

अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से जवाबः– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है वाद वर्णित आराजीयात का सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2164 रकबा 0.38हैक्टर किस्म बारानी 3 व खसरा संख्या 2166 रकबा 0.39है. किस्म गै.मु.खान में से होकर आवागमन वर्षो से कर रहा है व प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के अन्य पडौसी खातेदारी भी खसरा संख्या 2164 व 2166 में अपना आवागमन करते है तथा उनका वर्षो से उक्त खसरा संख्या 2164 व 2166 से आना जाना है प्रार्थी गंगाराम पुत्र नारायण रेगर की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2180 व 2181 में आवागमन हेतु ग्राम धून्धरी से बीजवाड बडला जाने वाला राजस्व रेकार्ड में दर्ज रास्ता सिवायचक खसरा संख्या 2164 व 2166 में से सुविधाजनक है तथा प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के अन्य पडौसी खातेदार भी खसरा संख्या 2164 व 2166 में से ही आवागमन करते है प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 2198,2199,2200 में मांग रहा है जो अनुचित है उक्त खसरा संख्या 2198,2199,2200 कोपरेटिव सोसायटी की भूमि है मौके पर कोपरेटिव सोसायटी के सदस्या यानि 1 लगायत 5 व 8 व 9 का कब्जा होकर तारबंदी हो रखी है उक्त खसरा संख्या विवादग्रस्त है प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता है जिसमे से वर्षो से वादी एवं वादी के पडौसी खातेदार आया जाया कर रहे है। वादी जिस खसरा संख्या 2198,2199,2200 से आवागमन का रास्ता मांगा जा रहा है वह कोपरेटिव सोसायटी का है। प्रार्थी का उद्देश्य केवल कोपरेटिव सोसायटी के सदस्यो परेशान करना है।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी का मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. ग्राम धून्धरी खातेदारी खसरा नंबर 2180 रकबा 0.07, खसरा नंबर 2181 रकबा 1.55, किता 2 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि गंगाराम पुत्र नारायण रेगर निवासी धून्धरी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।
2. प्रार्थी वर्तमान में ग्रामवासियान के अनुसार अपनी खातेदारी में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2164 रकबा 0.38 बारानी 3, खसरा नंबर 2166 रकबा 0.39 किस्म गै.मु.खान मे से होकर आवागमन वर्षो से कर रहा है।
3. प्रार्थी गंगाराम पुत्र नारायण रेगर की खातेदार भूमि खसरा नंबर 2180 व 2181 में आवागमन हेतु पडोसी खातेदारान के अनुसार ग्राम धून्धरी से बीजवाड बडला जाने वाला राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज रास्ता से सिवायचक खसरा नबर 2164 व 2166 मे से होकर सुविधाजनक है।
4. प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2180 व 2181 में आवागमन हेतु रास्ता रिकोर्ड दिया जाना आवश्यक है।
5. प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता खसरा नंबर 2198,2199,2200 मे से चाहा गया है। ग्राम वासियान के अनुसार उक्त खसरा नंबर कोपरेटिव सोसायटी की भूमि है एंव मौके पर कोपरेटिव सोसायटी के सदस्यो का कब्जा होकर तारबंदी हो रखी है तथा विवादग्रस्त है प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु। सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2164, 2166 मे से आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता हैं। जिसमे से प्रार्थी एवं पडोसी खातेदार आया जाया कर रहे है। नवीन रास्ता दिया जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
6. प्रार्थी गंगाराम पुत्र नारायण रेगर जिसकी धून्धरी को अपनी खातेदारी भूमि से आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नंबर 2164 व 2166 मे से रास्ता दिया जा सकता है जिसकी लम्बाई 190 मीटर चौडाई 6 मीटर कुल 1140 वर्गमीटर है जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया जाकर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को दोहराया उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्तो द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2180 व 2181 में आवागमन हेतु पडोसी खातेदारान के अनुसार ग्राम धून्धरी से बीजवाड बडला जाने वाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रास्ता से सिवायचक 2164 व 2166 में से होकर सुविधाजनक है जिसकी लम्बाई 190मीटर चौडाई 6 मीटर कुल 1140 वर्गमीटर है जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया जाकर रास्ता प्रस्तावित किया गया लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी उक्त मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ते में उपयोग मे आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर बनी उक्त रास्ते की भूमि की बनी राशि की दुगुनी राशि अप्रार्थी जमा कराने पर ही रास्ता दिया जान उचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2180 व 2181 में आवागमन हेतु पडोसी खातेदारान के अनुसार ग्राम धून्धरी से बीजवाड बडला जाने वाला राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रास्ता से सिवायचक 2164 व 2166 में से दिया जाता है जिसकी लम्बाई 190मीटर चौडाई 6 मीटर कुल 1140 वर्गमीटर है जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया जाकर रास्ता प्रस्तावित किया गया लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी उक्त मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ते में उपयोग मे आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर बनी उक्त रास्ते के उपयोग मे आयी भूमि की बनी राशि की दुगुनी राशि प्रार्थी जमा कराने पर ही रास्ता दिया जाता है तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम धून्धरी के खसरा नंबर 2180 व 2181 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता सार्वजनिक गै.मु. रास्ता के रूप मे दर्ज एव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner